बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
(गव्य विकास निदेशालय)

पशुपालन ज्ञान
पशुपालक कल्याण

दुधारू मवेशियों हेतु पशु बीमा

सात निश्चय-2 केतहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के

सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा की योजना

पशुपालकों की आर्थिक प्रगति, पूंजी निर्माण तथा डेयरी व्यवसाय के प्रबंधन में सहायक

गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रचारित।

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
(गव्य विकास निदेशालय)

दुधारू मवेशियों हेतु पशु बीमा

पशुपालन ज्ञान
पशुपालक कल्याण

योजना का उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों की बीमा कर गंभीर बीमारी यथा लम्पी त्वचा रोग, एच.एस.बी.क्यू. एवं अन्य कारणों से मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होने वाले आर्थिक क्षति के सापेक्ष पशुधन बीमा से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है।

योजना के मुख्य बिन्दु : इस योजना में प्रति दुधारू मवेशी का अधिकतम मूल्य ₹60,000/– निर्धारित की गई है। जिस पर 2.31 प्रतिशत की दर से बीमा की कुल राशि ₹1386/– होगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत राशि ₹1040/– अनुदान के रूप में देय होगा तथा शेष 25 प्रतिशत राशि ₹346/– बीमा कम्पनी को पशुपालकों द्वारा भुगतान किया जायेगा।

चयन में प्राथमिकता : योजना के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों के दुधारू पशुओं का बीमा में वरीयता दिया जायेगा। इस योजना के तहत वैसे दुधारू मवेशियों का बीमा कराया जायेगा, जो स्वस्थ हो तथा पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो।

योजना का कार्यान्वयन : योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

बीमा से संबंधित जानकारी :

- बीमा कम्पनी द्वारा दुधारू मवेशियों का बीमा 01 वर्ष के लिए किया जायेगा।
- बीमा कम्पनी द्वारा दुधारू मवेशियों में डाटा ईयर टैग लगाया जायेगा, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लाभुक की होगी।
- इच्छुक आवेदकों द्वारा दुधारू मवेशी की बीमा कराने हेतु अपना आवेदन गव्य विकास निदेशालय के बेवसाईट **dairy.bihar.gov.in** पर ऑनलाईन किया जायेगा।

योजना से लाभ :

- राज्य के पशुपालकों को आर्थिक प्रगति में सहायक होगा।
- पूँजी निर्माण में सहायक होगा।
- गव्य व्यवसाय के प्रबंधन में सहायक होगा।

  दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा।

(अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें)
गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रचारित।